संख्या-12/2019/1827/22-2-2018-17(386)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2019***

विषयः- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुदेशना पत्नी श्री सुरेन्द्र त्यागी, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 **(**दिनांक 07.08.2018**)** दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी सुदेशना पत्नी श्री सुरेन्द्र त्यागी, निवासिनी- खटौली, थाना-नागल, जनपद-सहारनपुर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा लड़की भगा ले जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 31.05.2014 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्रों से गोलियां चला कर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-578/2014 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34, 120बी0 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 08.05.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 24.12.2017 तक 03 वर्ष 01 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज का प्रभावित करने**,** भविष्य में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने की संभावना होने आदि की आख्या अंकित करते हुए महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बंदी द्वारा काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी सुदेशना (बन्दी संख्या-2040/2017) पत्नी श्री सुरेन्द्र त्यागी, निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-12/2019/1827(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in